

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण


पत्रांक : ६०/प्र०अ०(त०स०-२) / जौन-२/ २०१५-१६ दिनांक १०/११/२०१५







अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर निर्मित भवन के द्वितीय तल के ऊपर बरसाती (70.53 वर्गमीटर) का मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्क्यत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

सभापति श्री राम कृष्ण मिशन द्वारा भवन सं०-१३८६/९२४ मुठठीगंज इलाहाबाद के जौन संख्या (२) के अन्तर्गत दाखिल भवन के द्वितीय तल के ऊपर बरसाती (70.53 वर्गमीटर) मानचित्र उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति आदेश दिनांक 10.11.2015 के क्रम में निर्माणित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

१. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (१) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
३. टेरेस फ्लोर पर प्रस्तावित बरसाती का निर्माण तीन ओर से खुला रखा जाना होगा।
४. बरसाती की ऊँचाई २.४० मीटर (८ फिट) ही होगी।
५. स्वीकृति से इतर निर्माण/अधिभोग पाये जाने पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
६. माननीय न्यायालय में कोई बाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
७. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (९) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
८. यह स्वीकृति पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
९. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आगे भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
१०. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इपिडयन इलेक्ट्रिसिटी रॉल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
११. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
१२. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (१) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


 (पुष्कर श्रीवास्तव)
 विशेष कार्याधिकारी

NOTE :-
 LIME CONC IN FOUNDATION
 FLOORING OVER R.C.C SLAB
 TOTAL AREA OF PLOT = 453.00 sqm
 EXISTING COV AREA ON G.F. = 178.36 sqm
 EXIT. COV AREA ON G.F. = 70.53 sqm
 EXIT. COV AREA ON M.F. = 70.53 sqm
 EXISTING AREA ON F.F. = 70.53 sqm
 PROPOSED AREA OF BARSATI = 70.53 sqm
 WITH MUMTY
 OPEN AREA ON G.F. = 194.70 sqm
 EXISTING WORK SHOWN THUS
 PROPOSED WORK SHOWN THUS

It is certified that the building plan has been prepared according to Master Plan 2021/ Zonal Plan and Bhawan Upvidhi 2012

EXISTING/ PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN ON PLOT NO/H.N. 1386/ 924 AT RAMKRISHAN MISSION SEVASHRAM MUTTHI GANJ ALLAHABAD.

SCALE 1:100

OWNER :-

SRI. RAM KRISHAN MISSION

S. Subrahmanyam
 SECRETARY
 RAMKRISHAN MISSION SEVASHRAM
 MUTTHI GANJ ALLAHABAD
 AM-149002-0
 Vinesh Engineers Associate
 G-39, India International Plaza, Unnao-453
 Mob: 9415217009

REG'D. OF ENG.

